प्र 646-I/14 स्टेट

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-9-15	प्रकरण में पुकार लगाई गई। न तो आवेदक और न ही उनके वकील तीन बार पुकार लगाये जाने के बाद भी हाजिर हुये। शासन की ओर से अभियोजक [illegible] उपस्थित। प्रकरण आवेदक पेशी में खारिज किया जाता है। [हस्ताक्षर]	3-9-15 [हस्ताक्षर] शास. अधि. [illegible]
[हस्ताक्षर] 2052		

शाक्षेमुग्वा—714—असराममप्रग्वा—29-2-2012—15,000.

FIVE RUPEES TEN RUPEES

GWK15/4

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक   ।२००४ पुनरीक्षण

R 646-I/2004

बाबूसिंह पुत्र श्री जगन्नाथसिंह, आयु ६५ वर्ष, व्यवसाय काश्तकारी, निवासी ग्राम पुर, तेहसील व जिला मुरैना -- --- आवेदक.

बनाम.

म०प्र० शासन द्वारा कलेक्टर, मुरैना जिला मुरैना.

---- अनावेदक.

श्री रूकवेन्द्रसिंह धुरैरिया ओहू. द्वारा आज दि. 21.5.04 को प्रस्तुत।

अपर सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

21 MAY 2004

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०भू-राजस्व संहिता १९५९ विरुद्ध आदेश दिनांक २८-२-०४ पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना (श्री अखलेन्दु अरजरिया) बमामले क्रमांक ५२।९९-२००० अपील अपास्त करने से उद्भूत हुई ।

21/5/04

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण निम्नलिखित प्रस्तुत है-

संक्षिप्त तथ्य :

(अ) यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक संस्था खनवारिया कामगार उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, बमरौली, जिला मुरैना को सर्वे क्रमांक ९४३ व ९२४ व अन्य नम्बरान सहित २४५; ४८५ (हेक्टे.) मौजा पड़ावली औसतन अधिक बोली पर से दि० १-१२-१९८४ से ३१-३-८९ तक वैधानिक रूप से उक्त संस्था को पत्थर उत्खनन हेतु उक्त खदान दी थी, जिसमें उक्त संस्था के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष व ११ सदस्यों के द्वारा उक्त खदान का आधिपत्य प्राप्त किया था ।

21/5/04

(ब) यहकि, उक्त संस्था को दि० ३१-३-८९ आवेदक संस्था के आवेदन पर फार्म दो धारा १० के अन्तर्गत दि० ३१-३-८९ को माइनिंग

---२